NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 15-09-2025

विषय सूची

» सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले सर्वकालिक उच्च स्तर पर
» प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
» **DNA साक्ष्य से जुड़े मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए**
» भारत के बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 'टैक्स हेवन' के माध्यम से वृद्धि

संक्षिप्त समाचार

» हुआंगयान द्वीप (स्कारबोरो शोल)
» कोल्हान की मानकी-मुंडा प्रणाली
» प्रथम बांस-आधारित जैव-रिफाइनरी
» ऑस्ट्रेलिया द्वारा कोआला को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए प्रथम टीके को स्वीकृति
» यूस्टोमा फूल
» पिंक टैक्स
» केरल द्वारा वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे को स्वीकृति
» भारतीय तटरक्षक बल
» 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले सर्वकालिक उच्च स्तर पर

संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है, जिससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता, पहुँच और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंताएँ उठ रही हैं।

वर्तमान मामलों का भार

- नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की लंबितता अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गई है, जहाँ वर्तमान में 88,492 मामले विचाराधीन हैं, जिनमें 69,605 दीवानी मामले और 18,887 आपराधिक मामले शामिल हैं।
- विगत पाँच वर्षों में यह संख्या 35% से अधिक बढ़ी है, जबकि इस दौरान डिजिटलीकरण और संरचनात्मक सुधार किए गए हैं।

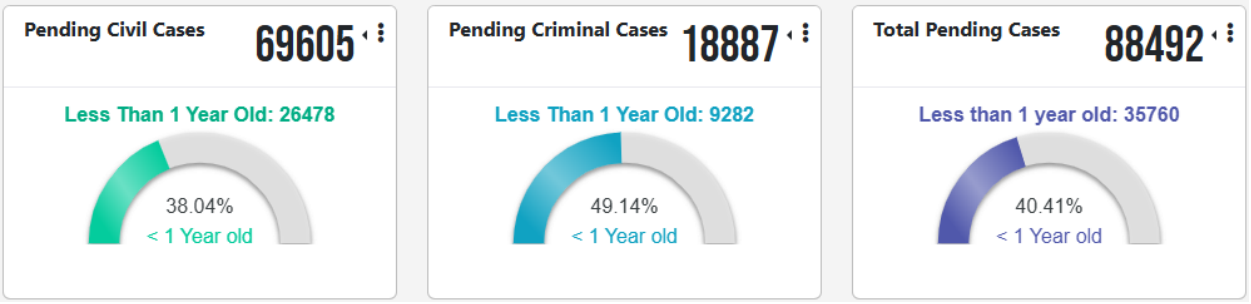

मामलों की लंबितता के कारण

- **मामलों का कम निराकरण**: केवल अगस्त 2025 में ही न्यायालय में 7,080 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 5,667 मामलों का निराकरण हुआ, जिससे 80.04% की निराकरण दर सामने आई।
  - जनवरी से अगस्त 2025 तक सर्वोच्च न्यायालय में 52,630 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 46,309 का निराकरण हुआ, जिससे वार्षिक निराकरण दर लगभग 88% रही।
- **सीमित कार्य दिवस**: न्यायालय की छुट्टियाँ और सीमित कार्य समय के कारण बैठकों की संख्या अपर्याप्त रहती है, जिससे बढ़ते मामलों को संभालना मुश्किल होता है।
- **प्रक्रियात्मक जटिलता**: लंबी प्रक्रियाएँ, स्थगन और अपीलें न्याय की गति को धीमा करती हैं।
- **न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात कम**: भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या पर केवल 21 न्यायाधीश हैं, जबकि अनुशंसित संख्या 50 है।
- **विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) का अत्यधिक उपयोग**: अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को अपवादस्वरूप मामलों की अपील सुनने की अनुमति देता है।
  - लेकिन SLPs का अत्यधिक और अनियंत्रित रूप से दायर किया जाना न्यायालय की कार्यसूची पर अत्याधिक दबाव डालता है, जबकि ये मामले निचली अदालतों में आसानी से सुलझाए जा सकते हैं।
- **सरकारी मुकदमों की अधिकता**: सरकार सबसे बड़ा वादी है, जो लगभग 50% लंबित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जिनमें से कई को अनावश्यक या दोहराव वाला माना जाता है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना और तकनीकी अपनापन**: कई अदालतों में सुदृढ़ केस प्रबंधन प्रणाली की कमी है, भले ही डिजिटलीकरण प्रयास किए गए हों। AI और ई-कोर्ट्स का सीमित उपयोग शेड्यूलिंग, ट्रैकिंग और कुशल निपटान में बाधा डालता है।
- **पुराने मामले और दीर्घकालिक बैकलॉग**: हजारों मामले एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं, कुछ तो 30+ वर्षों पुराने हैं। समान मामलों को प्राथमिकता न देना और एक साथ निराकरण की कमी से ठहराव बना रहता है।

- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की कमी**: मध्यस्थता और पंचाट का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है, जबकि ये न्यायालयों का भार अत्यंत सीमा तक कम कर सकते हैं।

न्याय और शासन पर प्रभाव

- **जन विश्वास का क्षरण**: जब न्याय में देरी होती है, विशेष रूप से मानवाधिकार, भ्रष्टाचार और संवैधानिक व्याख्या से जुड़े मामलों में, तो नागरिकों का न्यायपालिका पर विश्वास कम होता है।
- **आर्थिक प्रभाव**: वाणिज्यिक विवादों का लंबित रहना निवेश को हतोत्साहित करता है और आर्थिक विकास को धीमा करता है।
- **सामाजिक अन्याय**: कमजोर वर्गों को सबसे अधिक हानि होती है, क्योंकि आपराधिक मुकदमों और दीवानी विवादों में देरी से अनिश्चितता एवं कठिनाई बढ़ती है।
- **कारावास की अधिकता**: इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत की आधे से अधिक जेलें ओवरक्राउडेड हैं और लगभग 76% कैदी विचाराधीन हैं।

सुधारात्मक उपाय

- **विभेदित केस प्रबंधन (DCM)**: सर्वोच्च न्यायालय ने 'अनक्लॉगिंग द डॉकेट' पहल के अंतर्गत इसे अपनाया, जिसका उद्देश्य छोटे, अप्रासंगिक और पुराने मामलों की पहचान कर उन्हें शीघ्र निपटाना था—वे मामले जो अप्रासंगिक हो चुके थे या वर्षों से सूचीबद्ध नहीं हुए थे।
  - इससे 104% की निपटान दर प्राप्त हुई, जो न्यायिक दक्षता का नया मानक बना।
- **लंबित मामलों की समितियाँ और निगरानी तंत्र**: सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित मामलों को कम करने की रणनीति बनाने के लिए समितियाँ गठित की हैं।
  - ये समितियाँ मालीमठ समिति की सिफारिशों के अनुसार सख्त समयसीमा और प्रक्रियात्मक अनुशासन की निगरानी करती हैं।
- **न्यायिक क्षमता और कार्य दिवसों में वृद्धि**: मालीमठ समिति और विधि आयोग की रिपोर्टों की सिफारिशें:
  - सर्वोच्च न्यायालय के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाना;
  - अवकाश अवधि को 10–21 दिनों तक कम करना;
  - न्यायिक रिक्तियों को शीघ्र भरना ताकि कार्यभार कम हो।
- **विधायी और प्रक्रियात्मक सुधार**:
  - मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (2015 और 2019): विवाद समाधान के लिए समयसीमा निर्धारित की गई;
  - वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम (2018): संस्थान पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य किया गया;
  - परक्राम्य लिखत अधिनियम (2018): चेक बाउंस मामलों के लिए संक्षिप्त सुनवाई की अनुमति दी गई;
- **सर्वोच्च न्यायालय को विभाजित करने का प्रस्ताव**: दसवीं और ग्यारहवीं विधि आयोगों ने सर्वोच्च न्यायालय को दो भागों में बाँटने का सुझाव दिया:
  - संवैधानिक पीठ: मौलिक अधिकारों और संवैधानिक मामलों के लिए;
  - विधिक पीठ: नियमित अपीलों के लिए।
- **ई-कोर्ट्स और डिजिटल उपकरण**: सर्वोच्च न्यायालय ने ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ECMTs) का विस्तार किया है।
  - ये प्लेटफ़ॉर्म न्यायाधीशों और वकीलों को केस की स्थिति ट्रैक करने, दस्तावेज़ों तक पहुँचने और प्रक्रियात्मक देरी को कम करने में सहायता करते हैं।
- **नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG)**: यह पारदर्शिता एवं विश्लेषण प्रदान करता है, लेकिन इसे केस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ और बेहतर एकीकरण की आवश्यकता है।
- **सरकार की त्वरित कार्रवाई**: हाल के महीनों में सरकार ने कोलेजियम की सिफारिशों को अक्सर 48 घंटे के अंदर मंजूरी दी है।

- **ग्रीष्मकालीन अवकाश का कार्य दिवसों में परिवर्तन**: मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने पारंपरिक ग्रीष्मकालीन अवकाश को 'आंशिक कार्य दिवसों' में परिवर्तित कर दिया।

Source: TH

प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने इंफाल, मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी।

विकास परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएँ

- **अवसंरचना और संपर्क:**
  - इंफाल में शहरी अवसंरचना और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए ₹3,600 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ *मणिपुर अर्बन रोड्स प्रोजेक्ट* की शुरुआत।
  - ₹22,000 करोड़ की लागत वाली *जिरीबाम-इंफाल रेलवे लाइन* जल्द ही इंफाल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी।
  - ₹400 करोड़ के निवेश से *इंफाल हवाई अड्डे* का विस्तार किया गया और हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का उद्घाटन किया गया।
  - *नागरिक सचिवालय भवन* (₹538 करोड़) और *पुलिस मुख्यालय* (₹101 करोड़) का उद्घाटन शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया।
- **डिजिटल और आईटी पहल:** *मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट* का उद्देश्य राज्य में आईटी और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
- **महिला सशक्तिकरण:** *चार नए इमा मार्केट्स* (केवल महिलाओं के लिए बाजार) का उद्घाटन, जो मणिपुर की महिला-नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था की परंपरा को सुदृढ़ करते हैं।
  - *कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावासों* का नौ स्थानों पर निर्माण, जिससे महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में सहयोग मिलेगा।
- **खेल और संस्कृति:** *नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी* और *खेलो इंडिया* पहल को समर्थन।
  - *मारजिंग पोलो कॉम्प्लेक्स* के माध्यम से पोलो को बढ़ावा, जिसमें विश्व की सबसे ऊँची पोलो प्रतिमा शामिल है।

पृष्ठभूमि

- मई 2023 में इंफाल घाटी में बहुसंख्यक *मैतेई समुदाय* और आसपास की पहाड़ियों में बहुसंख्यक *कुकी-जो समुदाय* के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ।
  - इस हिंसा में 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए।
- संघर्ष की शुरुआत मैतेई समुदाय द्वारा *अनुसूचित जनजाति (ST)* का दर्जा माँगने से हुई, जिसका कुकी समुदाय ने विरोध किया। ST दर्जा मिलने पर मैतेई समुदाय को:
  - रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण जैसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होंगे।
  - पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीदने का अधिकार मिलेगा, जो वर्तमान में आदिवासी समुदायों (मुख्यतः कुकी-जो और नागा समूहों) के लिए आरक्षित हैं।
- मुख्यमंत्री के त्यागपत्र और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ।

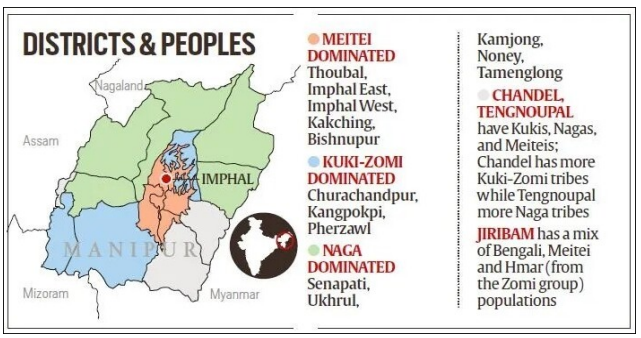

मणिपुर में प्रमुख विवादास्पद मुद्दे

- **विस्थापित परिवारों का पुनर्वास:** मणिपुर में 280 से अधिक राहत शिविर हैं, जहाँ लगभग 57,000 लोग

शरण लिए हुए हैं, जिनमें से कई दो वर्षों से अधिक समय से विस्थापित हैं।

- **आवाजाही पर प्रतिबंध:** संघर्ष के दौरान "बफर ज़ोन" बनाए गए, जो घाटी और पहाड़ी जिलों को सैन्यीकृत सीमाओं से अलग करते हैं।
  - इन क्षेत्रों ने स्वतंत्र आवाजाही को सीमित कर दिया, जिससे मैतेई समुदाय घाटी में कुछ सेवाओं से पृथक हो गया और कुकी-जो समूह इंफाल व अन्य घाटी-आधारित सुविधाओं तक नहीं पहुँच सके।
- **सीमा संबंधी चिंताएँ:** म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की खुली प्रकृति एक मुद्दा है। मैतेई नेताओं का आरोप है कि *चिन लोगों* (जो जातीय रूप से कुकी-जो से संबंधित हैं) का अनियंत्रित प्रवासन तनाव को बढ़ा रहा है।
  - सरकार ने *फ्री मूवमेंट रेजीम* को समाप्त कर दिया, जो सीमा के दोनों ओर के जनजातियों को बिना वीज़ा 16 किमी तक यात्रा की अनुमति देता था, और अब सीमा पर बाड़ लगाने की योजना है।
  - इन उपायों का *कुकी-जो और नागा समुदायों* ने विरोध किया है, जिनके सीमा पार सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध हैं।
- **राजनीतिक शून्यता:** मणिपुर में स्थिरता और विकास के लिए सुशासन एवं न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **संवाद की कमी:** हालाँकि 2024 के अंत से बड़े पैमाने पर हिंसा में कमी आई है, लेकिन मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच कोई निरंतर संवाद नहीं हुआ है।

पृथक प्रशासन की माँग

- *कुकी-जो परिषद* ने मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को राज्य से प्रशासनिक रूप से पृथक कर *संविधान के अनुच्छेद 239A* के अंतर्गत *विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश (UT)* के रूप में गठित करने की माँग की है।
  - अनुच्छेद 239A संसद को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों बनाने का अधिकार देता है।
  - यह प्रावधान *संविधान (14वाँ संशोधन) अधिनियम, 1962* द्वारा जोड़ा गया था।
- हालाँकि, *मैतेई संगठन* जैसे *COCOMI* इस प्रस्ताव का कठोर विरोध करते हैं, इसे मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा और "जातीय विभाजन" की दिशा में एक कदम मानते हैं।

विकास की आवश्यकता

- *अवसंरचना और संपर्क* में सुधार व्यापार, गतिशीलता, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा तक पहुँच के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- *डिजिटल और आईटी क्षेत्र* का विकास रोजगार, उद्यमिता एवं व्यापक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव के अवसर प्रदान कर सकता है।
- *महिला-केंद्रित पहल* जैसे *इमा मार्केट्स* सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं।
- *शांति निर्माण प्रयास* एवं *विस्थापित समूहों के लिए लक्षित राहत* सामाजिक समरसता और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक हैं।
- *अवसंरचना के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण* एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- मणिपुर में स्थायी शांति के लिए *मैतेई और कुकी-जो समुदायों* के बीच समावेशी संवाद आवश्यक है, जिसे *निष्पक्ष मध्यस्थता* का समर्थन प्राप्त हो।
- सरकार को *विस्थापित परिवारों के पुनर्वास* को गरिमा और आजीविका समर्थन के साथ प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही, *सीमा प्रबंधन में संतुलन* और *स्थानीय शासन संस्थाओं को सशक्त करना* अलगाव की भावना को कम कर सकता है।
- दीर्घकाल में, *जनजातीय अधिकारों की रक्षा* और *मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता* को बनाए रखते हुए *राजनीतिक समाधान* आवश्यक है।

Source: TH

DNA साक्ष्य से जुड़े मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने *कट्टावेल्लई @ देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य* मामले में हाल ही में आपराधिक मामलों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) नमूनों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आपराधिक मामलों में DNA साक्ष्य का महत्व

- DNA एक अणु है जो सभी जीवित प्राणियों में आनुवंशिक जानकारी को संहिताबद्ध करता है।
  - इसे हड्डी, रक्त, वीर्य, लार, बाल या त्वचा जैसे जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है।
- सामान्यतः, जब अपराध स्थल पर पाए गए नमूने का DNA प्रोफाइल संदिग्ध व्यक्ति के DNA प्रोफाइल से सामंजस्यशील है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नमूनों की जैविक उत्पत्ति समान है।हालांकि, यह आपराधिक मामलों में ठोस साक्ष्य नहीं माना जाता।
- *देवकर* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि DNA साक्ष्य केवल एक विशेषज्ञ की राय है (साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 39 के अंतर्गत)।
  - अन्य किसी भी राय की तरह, इसकी मूल्यवत्ता मामले-दर-मामले बदलती है।
  - इसलिए, DNA साक्ष्य को आँख मूंदकर स्वीकार नहीं किया जा सकता; इसे वैज्ञानिक और कानूनी रूप से सिद्ध करना आवश्यक है, तभी न्यायालय उस पर भरोसा कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता

- **प्रक्रियात्मक देरी:** न्यायालय ने पाया कि DNA विश्लेषण के लिए नमूनों को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजने में महत्वपूर्ण और अस्पष्ट देरी हुई थी।
  - साथ ही, नमूने की *चेन ऑफ कस्टडी* स्थापित नहीं की जा सकी, जिससे नमूने के दूषित होने की संभावना से मना नहीं किया जा सकता।
- **एकरूपता की कमी:** यद्यपि विभिन्न संस्थाओं द्वारा कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन न तो उनमें एकरूपता है और न ही कोई सामान्य प्रक्रिया जिसे सभी जांच एजेंसियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

- सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों के लिए चार दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें DNA साक्ष्य शामिल होते हैं:
  - **नमूना संग्रह की प्रक्रिया:** संग्रह से संबंधित दस्तावेज़ में उपस्थित *चिकित्सा पेशेवर*, *जांच अधिकारी* और *स्वतंत्र गवाहों* के हस्ताक्षर एवं पदनाम शामिल होने चाहिए।
  - **परिवहन:** DNA साक्ष्य (नमूना) को संबंधित पुलिस स्टेशन या अस्पताल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी *जांच अधिकारी* की होगी।
    - नमूना संग्रह के 48 घंटे के भीतर संबंधित FSL तक पहुँचना चाहिए।
    - यदि कोई देरी होती है, तो उसके कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए और नमूनों को संरक्षित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
  - **नमूने का प्रबंधन:** जब तक मुकदमा या अपील लंबित है, तब तक कोई पैकेज बिना *ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट अनुमति* के खोला, बदला या पुनः सील नहीं किया जाएगा।
  - **चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर:** नमूना संग्रह से लेकर तार्किक निष्कर्ष तक, अर्थात आरोपी के दोषसिद्धि या बरी होने तक, *चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर* बनाए रखना अनिवार्य है।
    - यह रजिस्टर ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में संलग्न किया जाना चाहिए।
    - जांच अधिकारी को अनुपालन में किसी भी चूक की व्याख्या करनी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय

- **अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014)**: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि DNA प्रोफाइल वैध और विश्वसनीय है, लेकिन यह प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
- **मनोज एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)**: सर्वोच्च न्यायालय ने DNA रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नमूना 'खुले क्षेत्र' से प्राप्त किया गया था और उसके दूषित होने की संभावना से मना नहीं किया जा सकता।
- **राहुल बनाम दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय (2022)**: DNA साक्ष्य को खारिज कर दिया गया क्योंकि वह दो महीने तक पुलिस मालखाने में रखा रहा और इस दौरान उसमें छेड़छाड़ की संभावना से मन नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष

- हालाँकि 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने *एकरूप प्रक्रिया सुनिश्चित करने* के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
- न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि *जांच एजेंसी द्वारा नमूना संग्रह* (बिना दूषित हुए और बिना देरी के) और *FSL में गुणवत्ता नियंत्रण* — दोनों ही विश्वसनीय परिणामों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

Source: TH

भारत के बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 'टैक्स हेवन' के माध्यम से वृद्धि

समाचार में

- भारतीय कंपनियाँ अपने वैश्विक विस्तार के उद्देश्य से अपने बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में कम-कर वाले क्षेत्रों—जिन्हें सामान्यतः *टैक्स हेवन* कहा जाता है—के माध्यम से तीव्रता से वृद्धि कर रही हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- कंपनियाँ अपने विदेशी निवेश को *सिंगापुर, मॉरीशस, यूएई, नीदरलैंड्स, यूके और स्विट्ज़रलैंड* जैसे कम-कर वाले क्षेत्रों (टैक्स हेवन) के माध्यम से निर्देशित कर रही हैं।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में भारत का 56% बाह्य FDI (₹3,488.5 करोड़ में से ₹1,946 करोड़) इन क्षेत्रों में गया।
- वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 63% हो गया।

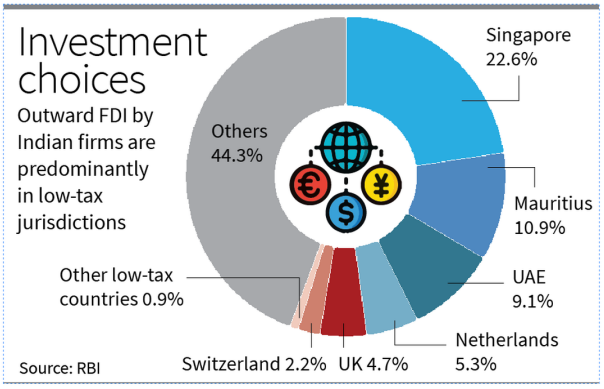

टैक्स हेवन को प्राथमिकता देने के कारण

- भारतीय कंपनियाँ *अनुकूल कानूनी ढाँचे, द्विपक्षीय संधियाँ* (जैसे भारत-मॉरीशस DTAA) और *कम कॉर्पोरेट कर दरों* के कारण टैक्स हेवन को प्राथमिकता देती हैं।
- भारत में FDI नियम और कराधान प्रायः *प्रतिबंधात्मक* होते हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि *अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर उच्च टैरिफ* कंपनियों को भविष्य में इन टैरिफ से बचने के लिए विदेशों में सहायक कंपनियाँ स्थापित करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- *सिंगापुर और यूएई* जैसे रणनीतिक स्थान व्यापक बाजारों तक पहुँच के लिए *गेटवे* के रूप में कार्य करते हैं।
- टैक्स हेवन में *लचीले वित्तीय नियम* पूंजी के प्रवाह और निवेश संरचना को सरल बनाते हैं।
- *स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स (SPVs)* टैक्स हेवन में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने और हिस्सेदारी के पतला करने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- टैक्स हेवन के माध्यम से लाभ प्रवाहित करने से भारत के *कर योग्य आय आधार* में कमी आ सकती है।
- टैक्स हेवन का संबंध प्रायः *धन शोधन* और *बेस एरोशन* से होता है।
- *राउंड-ट्रिपिंग* का खतरा बढ़ता है, जिसमें भारतीय धन विदेश भेजा जाता है और फिर FDI के रूप में भारत में पुनः निवेश किया जाता है।
- विदेशी संरचना पर अत्यधिक निर्भरता *भारतीय परिचालनों में प्रत्यक्ष निवेश* को कम कर सकती है, जिससे *रोजगार सृजन* और *स्थानीय विकास* प्रभावित होता है।
- *भारतीय अधिकारियों के लिए अंतिम निवेश गंतव्यों को ट्रैक करना* और अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।

उठाए गए कदम

- भारत ने टैक्स हेवन से जुड़े FDI की चुनौतियों से निपटने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - *मॉरीशस और सिंगापुर* के साथ संधियों का *पुनः वार्ता*, जिसमें *दुरुपयोग विरोधी प्रावधान* शामिल किए गए।
  - भारत *OECD की बेस एरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)* पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लाभ स्थानांतरण को रोकना है।
  - सरकार ने *FDI मानदंडों को सरल बनाया*, *क्षेत्रीय सीमा बढ़ाई*, और *जन विश्वास सुधार* लागू किए ताकि व्यापार करने में आसानी हो।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारतीय कंपनियाँ टैक्स हेवन का उपयोग केवल *कर लाभ* के लिए नहीं, बल्कि *रणनीतिक और परिचालन कारणों* से भी करती हैं।
- हालाँकि यह *वैश्विक विस्तार* को समर्थन देता है, लेकिन यह *भारत की कर प्रणाली, नियमों और घरेलू निवेश* के लिए चुनौती भी प्रस्तुत करता है।
- इस संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत को *व्यापार करने में आसानी, नियमों को सरल बनाने* और *अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग* को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि बाह्य FDI से अर्थव्यवस्था को लाभ मिल सके।
- इसके अतिरिक्त, *अंतरराष्ट्रीय सहयोग* कर मानकों को लागू करने और *अवैध प्रवाह को रोकने* के लिए आवश्यक है।
  - एक *संतुलित, सुधार-आधारित दृष्टिकोण* वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने के साथ-साथ *राजकोषीय अखंडता* को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

Source :TH

संक्षिप्त समाचार

हुआंगयान द्वीप (स्कारबोरो शोल)

समाचार में

- फिलीपींस ने *दक्षिण चीन सागर* में विवादित *हुआंगयान द्वीप (स्कारबोरो शोएल)* पर *प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र* स्थापित करने की चीन की योजना का विरोध किया है।

हुआंगयान द्वीप (स्कारबोरो शोएल) के बारे में

- हुआंगयान द्वीप, जिसे अंग्रेज़ी में *स्कारबोरो शोल* और फिलीपींस में *पनाटाग शोल* कहा जाता है, दक्षिण चीन सागर में स्थित एक *विवादित प्रवाल द्वीप* है।
- यह *समृद्ध मत्स्य संसाधनों*, *संभावित हाइड्रोकार्बन भंडार* और *सैन्य महत्व* के कारण रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह *मनीला ट्रेंच* के पास, फिलीपींस के *लूज़ोन द्वीप* से 220 किमी पश्चिम में स्थित है।
- यह द्वीप प्रथम बार *1734 के वेलार्डे मानचित्र* में फिलीपींस के हिस्से के रूप में दर्शाया गया था, जिसे *स्पेनिश शासन* के अंतर्गत दावा किया गया था और बाद में *1748 में एक ब्रिटिश जहाज़ के वहाँ ग्राउंड होने* के बाद इसका नाम "स्कारबोरो" रखा गया।

- फिलीपींस का दावा *1900 की वाशिंगटन संधि* पर आधारित है।

दक्षिण चीन सागर

- यह *पश्चिमी प्रशांत महासागर* का एक सीमांत सागर है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:
  - *उत्तर-पूर्व* में ताइवान
  - *पूर्व* में फिलीपींस
  - *दक्षिण* में बोर्नियो और थाईलैंड की खाड़ी
  - *पश्चिम/उत्तर* में वियतनाम और चीन सहित एशियाई मुख्यभूमि

Source :IE

कोल्हान की मानकी-मुंडा प्रणाली

समाचार में

- झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में हो जनजाति के आदिवासियों ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने उपायुक्त पर उनके पारंपरिक मानकी-मुंडा शासन प्रणाली में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।

मानकी-मुंडा प्रणाली

- झारखंड के कोल्हान क्षेत्र की हो जनजाति पारंपरिक रूप से एक विकेंद्रीकृत, वंशानुगत शासन प्रणाली का पालन करती थी, जिसमें गांव के मुखिया को मुंडा और क्षेत्रीय नेताओं को मानकी कहा जाता था।
  - मुंडा स्थानीय सामाजिक-राजनीतिक विवादों का समाधान करते थे, जबकि जो मामले हल नहीं होते थे उन्हें मानकी के पास भेजा जाता था, जो कई गांवों (पिर) की देखरेख करते थे।
    - यह प्रणाली केवल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान करती थी, भूमि या राजस्व मामलों का नहीं।
  - यह आत्मनिर्भर प्रणाली बाहरी अधिकार या कराधान के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित होती थी।
    - ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने इस स्वायत्तता को बाधित किया, क्योंकि उन्होंने कर और बाहरी नियंत्रण लागू किया।

ब्रिटिश प्रभाव

- मानकी-मुंडा प्रणाली को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाधित किया, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्ती अधिनियम (1793) के अंतर्गत कर और भूमि जब्ती लागू की, जिससे आदिवासी विद्रोह हुए।
- इसके प्रत्युत्तर में, ब्रिटिशों ने 1833 में विल्किंसन के नियमों के माध्यम से मानकी-मुंडा प्रणाली को संहिताबद्ध किया, जिससे कोल्हान को ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया, लेकिन आदिवासी नेतृत्व को संरक्षित रखा गया।
- स्वतंत्रता के पश्चात भी, विल्किंसन के नियम प्रभावी रहे, और कोल्हान को सामान्य नागरिक कानूनों से अत्यंत सीमा तक मुक्त रखा गया।

Source :IE

प्रथम बांस-आधारित जैव-रिफाइनरी

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गोलाघाट जिले में भारत की प्रथम बांस-आधारित जैव-रिफाइनरी का उद्घाटन किया।

परिचय

- प्रत्येक वर्ष पांच लाख टन हरे बांस की आपूर्ति अरुणाचल प्रदेश और असम सहित पूर्वोत्तर के चार राज्यों से की जाएगी, जिससे एथनॉल, एसिटिक एसिड, फर्फ्यूरल और खाद्य-ग्रेड तरल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाएगा।
- यह जैव-एथनॉल संयंत्र असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ₹200 करोड़ का प्रोत्साहन देने की संभावना है।

जैव-रिफाइनरी

- जैव-रिफाइनरी एक औद्योगिक सुविधा है जो बायोमास (पौधों की सामग्री, कृषि अवशेष, वानिकी अपशिष्ट, शैवाल, जैविक अपशिष्ट आदि) को कई मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करती है, जैसे:
  - **जैव ईंधन** (एथनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायोहाइड्रोजन);
  - **जैव रसायन** (कार्बनिक अम्ल, सॉल्वेंट्स, बायोप्लास्टिक, एंजाइम);
  - **जैव सामग्री** (फाइबर, बायो-कॉम्पोजिट्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक);
  - **जैव ऊर्जा** (विद्युत , ऊष्मा, सिंगैस)।
- जैव-रिफाइनरी एक तेल रिफाइनरी का हरित विकल्प है, जो नवीकरणीय बायोमास को ईंधन, ऊर्जा और रसायनों में कुशल, सतत और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से परिवर्तित करती है।

Source: AIR

ऑस्ट्रेलिया द्वारा कोआला को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए प्रथम टीके को स्वीकृति

संदर्भ

- ऑस्ट्रेलिया ने अपनी घटती कोआला जनसंख्या को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए प्रथम टीके को स्वीकृति प्रदान की।

परिचय

- यह टीका मृत्यु दर को कम से कम 65% तक घटाने में प्रभावी पाया गया है।
- **क्लैमाइडिया:** यह एक यौन संचारित संक्रमण है जो *क्लैमाइडिया पेकोरम* नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो बांझपन और अंधापन का कारण बन सकता है। कोआलाओं में क्लैमाइडिया उनके अस्तित्व के लिए खतरा और एक प्रमुख संरक्षण मुद्दा है।
  - यह मनुष्यों में भी पाया जाता है, जहाँ *क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस* नामक बैक्टीरिया के कारण यह एक प्रमुख यौन संचारित संक्रमण (STI) होता है, लेकिन इसका उपचार संभव है।

कोआला के बारे में

- **कोआला** (Phascolarctos cinereus) एक पेड़ों पर रहने वाला मार्सुपियल है जो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
  - प्रायः गलती से "कोआला भालू" कहा जाता है, जबकि यह भालू नहीं बल्कि एक मार्सुपियल है (ऐसा स्तनधारी जो अपने बच्चे को थैली में रखता है)।
- **शारीरिक विशेषताएँ:** मोटा, मुलायम, ग्रे या भूरा रंग जिसमें नीचे की ओर हल्का रंग होता है – जो इन्सुलेशन प्रदान करता है।
  - नाक बड़ी और काली होती है, जिसमें गंध की तीव्र क्षमता होती है (जो नीलगिरी के पत्तों की पहचान में सहायता करती है)।

- **आवास और वितरण:** मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया (क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया) में पाए जाते हैं।
- **आहार:** शाकाहारी – लगभग पूरी तरह से नीलगिरी के पत्ते खाते हैं।
- **व्यवहार:** अधिकतर रात्रिचर और स्थिर रहते हैं।
- **खतरे:** आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि के साथ-साथ :कोआलाओं की सुभेद्यता का एक प्रमुख कारण क्लैमाइडिया है।
- 2022 से, इन्हें ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- **IUCN स्थिति** – सुभेद्य **(Vulnerable)**

Source: TH

यूस्टोमा फूल

संदर्भ

- यूस्टोमा, एक फूल जो पहले ओडिशा में केवल आयात के माध्यम से उपलब्ध था, अब प्रथम बार स्थानीय रूप से खिला है।
  - यह उपलब्धि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की अनुसंधान शाखा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI) द्वारा हासिल की गई है।

यूस्टोमा (Eustoma grandiflorum) के बारे में

- **सामान्य नाम:** लिसियंथस
- **परिवार:** जेंटियानेसी (Gentianaceae)
- **मूल क्षेत्र:** मेक्सिको और उत्तर अमेरिका
- **खेती की आवश्यकताएँ:**
  - समृद्ध, अच्छी जल निकासी वाली मृदा में पूर्ण सूर्यप्रकाश के साथ उगता है।
  - नियमित नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक जल देने पर संवेदनशील होता है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - इसके बड़े गुलाब जैसे फूल, लंबे तने और लंबे समय तक ताजगी बनाए रखने की क्षमता के कारण, हाल के वर्षों में इसकी बिक्री में भारी वृद्धि हुई है।
  - इसी कारण से इसे "नेक्स्ट रोज" की उपाधि दी गई है।

Source: TH

पिंक टैक्स

संदर्भ

- इंटरनेशनल फाइनेंस स्टूडेंट्स एसोसिएशन के शोध **'द जेंडर टैक्स: असेसिंग द इकोनॉमिक टोल ऑन वीमेन'** के अनुसार, लगभग 67% भारतीय व्यक्तियों को पिंक टैक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पिंक टैक्स

- पिंक टैक्स न तो कोई वास्तविक कर है, और न ही यह सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क है।
- यह एक मूल्य निर्धारण की प्रवृत्ति है जिसमें महिलाएं उन उत्पादों या सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करती हैं जो विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए होते हैं।
  - गुलाबी रंग के खिलौने, हेयरकट, ड्रायक्लीनिंग, रेज़र, शैम्पू, बॉडी लोशन, डिओडरेंट, चेहरे की देखभाल, त्वचा की देखभाल, सौंदर्य उत्पाद, कपड़े, टी-शर्ट, जींस, सैलून सेवाएं आदि इस टैक्स से प्रभावित होते हैं।
- "पिंक टैक्स" शब्द की उत्पत्ति 1994 में अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया राज्य में मानी जाती है।

भारत में विनियमन

- भारत में पिंक टैक्स से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह निर्णय दिया कि कंपनियों को निष्पक्ष मूल्य निर्धारण नीतियों का पालन करना चाहिए और लिंग आधारित मूल्य भेदभाव से बचना चाहिए।
- जुलाई 2018 में, केंद्र सरकार ने सैनिटरी नैपकिन और टैम्पॉन को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से मुक्त कर दिया।
- इससे पहले इन स्वच्छता उत्पादों पर 12% GST लगाया जाता था।

पिंक टैक्स से बचने के उपाय

- जब भी संभव हो, जेंडर-न्यूट्रल उत्पाद या पुरुषों के विकल्प चुनें।
- गुणवत्ता की तुलना करें, और यदि पुरुषों का विकल्प बेहतर हो तो गुलाबी पैकेजिंग छोड़ें या यूनिसेक्स उत्पाद चुनें।

- पूरे पैकेज की कीमत की तुलना करने के बजाय प्रति यूनिट कीमत की जांच करें।

Source: TH

केरल द्वारा वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे को स्वीकृति

समाचार में

- केरल कैबिनेट ने वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की है, जो बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **तत्काल कार्रवाई का अधिकार:** मुख्य वन्यजीव संरक्षक (CWW) को यह अधिकार होगा कि वह आवासीय क्षेत्रों में किसी व्यक्ति पर हमला करने या उसे घायल करने वाले किसी भी वन्यजीव को तुरंत मारने का आदेश दे सकेगा, जिससे केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की लंबी प्रक्रिया को दरकिनार किया जा सकेगा।
- **विकेंद्रीकृत अधिकार:** जिला कलेक्टर या मुख्य वन संरक्षक सीधे CWW को घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं, जो केंद्र सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई कर सकते हैं।
- **जनसंख्या नियंत्रण और पुनर्वास:** संशोधन अधिनियम की अनुसूची II में सूचीबद्ध प्रजातियों (जैसे जंगली सूअर और बंदर) की अत्यधिक संख्या होने पर उनके लिए जन्म नियंत्रण और स्थानांतरण उपायों की अनुमति देता है, वह भी केंद्र की पूर्व स्वीकृति के बिना।
- **वर्मिन घोषित करने का अधिकार:** अनुसूची II के जानवरों को "हानिकारक जीव" (वर्मिन) घोषित करने का अधिकार अब केंद्र सरकार से राज्य सरकार को स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे उनका शिकार संभव होगा।
- **बॉनेट मकाक का पुनर्वर्गीकरण:** विधेयक में प्रस्ताव है कि बॉनेट मकाक (बंदर) को अनुसूची I (उच्चतम संरक्षण) से अनुसूची II (कम संरक्षण स्तर) में स्थानांतरित किया जाए, जिससे उनकी जनसंख्या प्रबंधन आसान हो सके।
- **चंदन व्यापार सुधार:** निजी भूमि पर उगाए गए चंदन के पेड़ों की बिक्री वन विभाग के आउटलेट्स के माध्यम से की जा सकेगी, जिसमें किसानों को लकड़ी की पूरी कीमत प्राप्त होगी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के बारे में

- मानव-वन्यजीव संघर्ष वह स्थिति है जब मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच टकराव से नकारात्मक परिणाम होते हैं, जैसे संपत्ति, आजीविका और जीवन की हानि।
- **कारण:**
  - शिकार और अवैध व्यापार
  - संरक्षित क्षेत्रों की कमी
  - वनों की कटाई
  - कृषि विस्तार
  - जलवायु परिवर्तन
  - आक्रामक प्रजातियाँ

Source: TH

भारतीय तटरक्षक बल

समाचार में

- भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने रोम में आयोजित चौथे कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में वैश्विक समुद्री शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

भारतीय तटरक्षक बल के बारे में

- यह 1977 में तटरक्षक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- इसका मुख्य कार्य समुद्री कानून का प्रवर्तन, तटीय सुरक्षा, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की रक्षा, तस्करी विरोध, समुद्री डकैती विरोध और अवैध मछली पकड़ने की रोकथाम है।
- भारतीय तटरक्षक बल का नेतृत्व एक महानिदेशक (Director General) करते हैं।

भारत के तटीय क्षेत्र का विभाजन

- कमांड और नियंत्रण के लिए भारत के तटीय क्षेत्र को पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
  - **उत्तर-पश्चिम** (गांधीनगर)
  - **पश्चिम** (मुंबई)
  - **पूर्व** (चेन्नई)
  - **उत्तर-पूर्व** (कोलकाता)
  - **अंडमान और निकोबार** (पोर्ट ब्लेयर) प्रत्येक क्षेत्र का नेतृत्व एक निरीक्षक जनरल (Inspector General) द्वारा किया जाता है।

Source: TH

2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप

समाचार

- जैस्मीन लैम्बोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने ब्रिटेन के लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है।

परिचय

- यह आयोजन ब्रिटेन के लिवरपूल स्थित एम एंड एस बैंक एरिना में आयोजित किया गया था और इसमें सभी महाद्वीपों के 65 से अधिक देशों के 550 से अधिक मुक्केबाजों ने भाग लिया था।
- 2025 का संस्करण ऐतिहासिक था, क्योंकि इसमें प्रथम बार एलीट स्तर पर नए वैश्विक मुक्केबाजी महासंघ, विश्व मुक्केबाजी के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों वर्गों के आयोजनों को शामिल किया गया था।
- कज़ाकिस्तान 7 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जो उज्बेकिस्तान और भारत से आगे था।

Source: TH

■■■■